

4

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या-11/2022-23

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

-बनाम्-

राजेन्द्र कुमार महतो

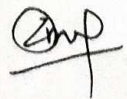
-आदेश:-

06.02.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी-सह-अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं०-07/2022, दिनांक-08.06.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि चन्द्रपुरा थाना कांड सं०-134/2020, दिनांक-16.12.2020, धारा-379/413/ 414/34 भा०द०वि० एवं 30(ii) कोयला खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त 407 वाहन रजि०सं०-JH11A-2014 एवं उस पर लदा करीब 02 टन अवैध कच्चा कोयला, वाहन मालिक श्री राजेन्द्र कुमार महतो, पिता धर्मचन्द्र महतो, सा०-घुटवाली, थाना-डुमरी, जिला गिरिडीह के विरुद्ध अवैध खनन एवं परिवहन के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप जप्त वाहन एवं कोयला को The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार की ओर से विज्ञा सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया। विपक्षी पिछले कई तिथियों से सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित पाये गये।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक-16.12.2020 को चन्द्रपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम तारमी स्थित उपर वंधा हनुमान मंदिर के पास टाटा 407 गाड़ी खड़ी है, जिसमें सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भाग गए। वाहन को विधिवत तलाशी ली गई तो देखा कि वाहन सं०- JH11A-2014 में करीब 02 टन अवैध कोयला लोड था। फलस्वरूप विधिवत रूप से जप्ती सूची बनाकर वाहन एवं कोयले को जप्त किया गया। अवैध तरीके से कोयले का परिवहन करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से कोयले का खनन/परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of



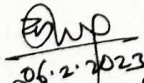
Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

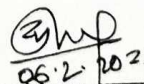
विपक्षी राजेन्द्र कुमार महतो, पिता धर्मचन्द महतो, सा0-घुटवाली, थाना-डुमरी, जिला गिरिडीह पिछले कई तिथियों से सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित पाये गए। उनके द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी प्रकार का कारण-पृच्छा/लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है।

वर्णित परिस्थिति में विद्वान सरकारी अधिवक्ता की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विपक्षी के द्वारा बिना वैध कागजात के ही कोयले का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था। कोयले के अवैध उत्खनन कर परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है एवं सरकारी सम्पत्ति की अवैध विनियमन में विपक्षी की संलिप्तता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप जिला खनन पदाधिकारी-सह-अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0-07/2022, दिनांक-08.06.2022 को स्वीकृत करते हुए चन्द्रपुरा थाना कांड सं0-134/2020, दिनांक-16.12.2020, धारा-379/413/414/34 भा0द0वि0 एवं 30(ii) कोयला खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त 407 वाहन रजि0सं0-JH11A-2014 एवं उस पर लदा करीब 02 टन अवैध कच्चा कोयला को परिवहन करने के आरोप में राज्य सरकार के हित में राजसात् किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


06.2.2023
समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


06.2.2023
समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।